# न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बेरमो (तेनुघाट)।

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1),(क)/(ख)के अंतर्गत

**परमिशन वाद सं0 163 वर्ष 2024**

| | |
|---|---|
| आवेदक– विश्वनाथ महतो वगैं0 | क्रेता–मीना देवी वगैं0 |
| ग्राम–जरिया | ग्राम–जरिया |
| थाना–चतरोचट्टी जिला–बोकारो | थाना– चतरोचट्टी जिला–बोकारो |

| आदेश की क0सं0 तारीख 01 | आदेश एंव पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02 | आदेश पर की कार्रवाई के ब टिप्पणी तारीख 03 |
|---|---|---|
| 30/11/24 | | |

## आदेश

यह वाद आवेदक– 01.विश्वनाथ महतो पिता–स्व0 शंकर महतो, 02.किरक महतो पिता– स्व0 झरी महतो, 03.पैरी देवी पति स्व0 किशुन महतो, ग्राम–जरिया, थाना–चतरोचट्टी ,जिला–बोकारो के द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)/(ख) के अंतर्गत निम्नाकिंत जमीन, विवरणी निम्नवत:–

| मौजा | थाना न0 | खाता न0 | प्लॉट सं0 | कुल रकबा | बिक्री रकबा | भूमि दर्जा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| जरैया | 02 | 28 | 655 | 02 डी0 | 01¼ डी0 | मकान एंव वर्तमान स्वरूप में परती |

को वो आवश्यक कार्य हेतु मो 1,00,000/–(एक लाख) रूपये में क्रेता–01.मीना देवी पति–श्री कलपू महतो , 02.फुलकी देवी पति– श्री हरदयाल महतो, ग्राम–जरिया, थाना–चतरोचट्टी ,जिला–बोकारो के साथ बिक्री करने की अनुमति हेतु समर्पित आवेदन के आधार पर आरम्भ किया गया तथा छोटानागपुर कश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1),(ख) के तहत आवेदन पत्र को पंजीकृत करते हुए आम सूचना निर्गत की गई, तथा इस कार्यलय के पत्रांक–965 रा0, दिनांक–05.09.2024 के माध्यम से अंचल अधिकारी गोमिया से जॉच प्रतिवेदन की मॉग की गईं।

निर्धारित अवधि तक किसी के द्वारा प्रस्तावित भूमि की अनुमति प्रस्ताव के विरूद्ध कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। प्रस्तावित भूमि की बिक्री अनुमति के संबंध में अंचल अधिकारी गोमिया के पत्रांक–864, दिनांक–25.10.2024 से वांछित जॉच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमे उनके द्वारा उल्लेख किया गया हैं कि:–

01. बिक्रेता एंव क्रेता कुर्मी(महतो) जाति के सदस्य हैं जो पिछडा वर्ग श्रेणी के अतंर्गत आते हैं। बिक्रेता एंव क्रेता दोनों एंक ही थाना एंव जिला–बोकारो के निवासी हैं।
बिक्री की जाने वाली भूमि का सर्वे खतियान में सुकरा कुरमी के नाम से दर्ज हैं सरकारी अभिलेख ऑनलाईन पंजी–II के पृष्ट सं0–37, भौलुम सं0–1 पर सुकरा कुरमी के नाम से जमाबंदी कायम हैं एंव लगान रसीद वर्ष–1947–75 एंव 2023–24 तक निर्गत हैं। जमाबंदी कायम होने का आधार खतियान हैं।
02. खतियानधारी रैयत से बिक्रेता का संबंध परपोता का है। बिक्री की जाने वाली भूमि बिक्रेता के हक व हिस्से के अतंर्गत आता है एंव बिक्रेता का दखल कब्जा में हैं।
03. प्रस्तावित भूमि भू–हदबन्दी, भूदान, सैरात, वन भूमि, तथा अधिग्रहित क्षेत्र से बाहर हैं।

उनके द्वारा बिक्रेता को प्रस्तावित भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा के साथ प्रतिवेदन को अग्रसारित किया गया हैं।

दोनों पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए। दोनों पक्षों का ब्यान दर्ज किया गया। बिक्रेता द्वारा अपने ब्यान में बतलाया गया हैं कि आवेदनाकिंत जमीन सर्वे खतियान में सुकरा कुरमी के नाम से दर्ज हैं सरकारी अभिलेख ऑनलाईन पंजी–II के पृष्ट सं0–37, भौलुम सं0–1 पर सुकरा कुरमी के नाम से जमाबंदी कायम हैं एंव लगान रसीद वर्ष–1947–75 एंव 2023–24 तक निर्गत हैं। बिक्री वाली जमीन उसके हक हिस्से की हैं जिसे वे आवश्यकता वश बेच रहे हैं।

क्रेता का कहना है कि उन्होने प्रस्तावित जमीन को देखा है। उक्त जमीन पर कोई विवाद नहीं हैं, तथा वर्तमान में आवेदक के शांति पूर्ण दखल कब्जे में हैं।

उभय पक्ष अपने पक्ष निम्नांकित कागजात/दस्तावेज प्रस्तुत करतें हैं:–

01. बिक्रेता– खतियान की छायाप्रति हैं, लगान रसीद का छायाप्रति, आवासीय प्रमाण की छायाप्रति, जाति प्रमाण की छायाप्रति एंव स्वंय के नाम आधार कार्ड की छायाप्रति ।

02. केता– आवासीय प्रमाण की छायाप्रति, जाति प्रमाण की छायाप्रति एंव स्वंय के नाम आधार कार्ड की छायाप्रति ।

दोनो पक्षों का ब्यान सुनने, उनके द्वारा समर्पित कागजातों एंव अंचल अधिकारी गोमिया से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि बिकेता एंव केता कुर्मी(महतो) जाति के सदस्य हैं जो पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अतंर्गत आते हैं। बिकेता एंव केता दोनों एंक ही थाना एंव जिला का निवासी हैं। आवेदित भूमि बिकेता के हिस्से की जमीन है, जो खतियान घरेलु बँटवार के आधार पर हासिल हैं जिसे वे आश्यकता वश बेचना चाहते हैं।

अतः आवेदक–01.विश्वनाथ महतो पिता–स्व0 शंकर महतो, 02.किरक महतो पिता– स्व0 झरी महतो, 03.पैरी देवी पति स्व0 किशुन महतो, ग्राम–जरिया, थाना–चतरोचट्टी ,जिला–बोकारो को निम्नांकित भूमिः–

| मौजा | खाता न0 | प्लॉट सं0 | कुल रकबा | बिकी रकबा | उत्तर सीमा | द0 सीमा | पूरब सीमा | पश्चिम सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| जरैया 2 | 28 | 655 | 02 डी0 | 01¼ डी0 | विश्वनाथ महतो वगै0 | रास्ता | निज बिक्रेतागण | बिक्रेतागण |
| | | | कुल | 01¼ डी0 (एक पूर्णाक एक बटा चार डिसमिल जमीन मात्र) | | | | |

मो0 1,00,000/–(एक लाख) रूपय या जिला अवर निबंधक बोकारो द्वारा निर्धारित नवीनत्म भूमि मूल्यांकित राशि में जो अधिक हो, की दर से केता–01.मीना देवी पति–श्री कलपू महतो , 02.फुलकी देवी पति– श्री हरदयाल महतो, ग्राम–जरिया, थाना–चतरोचट्टी ,जिला–बोकारो के साथ बिकी करने की अनुमति प्रदान की जाती हैं।

इसके साथ ही इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती हैं। इस आदेश से उभय पक्षों को अवगत करावें।

लेखापित एंव संशोधित।

30.1.2024

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
बेरमो (तेनुघाट)।

30.1.2024

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
बेरमो (तेनुघाट)।

Digitally signed by MUKESH MACHHUWA
Date: 2025.01.01 23:20:19 -08:00
Location: 192.168.1.34